कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर म.प्र.

MG Road, Nr. Gandhi Hall, Indore - 452 007 (O) 2534579 dcourtind-mp@nic.in

- : : परिपत्र : : -

क्रमांक : ..11...../ III-10-14/2023 इंदौर, दिनांक : 25.09.2023

प्रायः यह देखा गया है कि इस स्थापना पर कार्यरत् अधिकांश तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ई.एस.एस. प्रोफाईल (1. Change Employee Profile, 2. Family Details, 3. Nominee Details, 4. Miscellaneous Details etc.) शत-प्रतिशत पूर्ण न होने तथा अधिकांश कर्मचारियों की उक्त ई.एस.एस. प्रोफाईल त्रुटिपूर्ण होने के कारण समय-समय पर जिला कोषालय कार्यालय, इन्दौर व कार्यालय संभागीय पेंशन अधिकारी, इन्दौर संभाग, इन्दौर से प्रोफाईल अपडेट करने के संबंध में पत्र प्राप्त होने के उपरांत कर्मचारियों को निर्देशित किये जाने के बावजूद भी पदस्थ कर्मचारियों द्वारा अपनी ई.एस.एस. प्रोफाईल स्वयं की लॉगिन से न तो अपडेट किये जाने हेतु आई.एफ.एम.आई.एस. मॉड्यूल में रिक्वेस्ट भेजी जाती है और न ही त्रुटिपूर्ण ई-प्रोफाईल को सुधारे जाने हेतु रूचि ली जा रही है।

उल्लेखनीय है कि जिला कोषालय कार्यालय द्वारा ई-प्रोफाईल शत-प्रतिशत पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप वेतन रोके जाने के भी निर्देश प्रसारित किये गये थे, जिनसे अवगत कराते हुए, इस कार्यालय द्वारा विशेष रूप से कोविड-19 की महामारी के समय व समय-समय-पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाकर दस्तावेजों के साथ अपनी ई-प्रोफाईल पूर्ण करवाए जाने हेतु समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता रहा है। किन्तु इसके बावजूद कर्मचारियों द्वारा स्वयं अपनी ही ई-प्रोफाईल पूर्ण किये जाने में रूचि नहीं दिखाई गई। इस कारण कार्यालय जिला कोषालय, इन्दौर से इस कार्यालय को बार-बार अनावश्यक पत्राचार करना पड़ रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष माह जनवरी व जुलाई में आगामी 24 से 30 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारीगण के जारी सेवानिवृत्ति आदेशों में भी कर्मचारीगण/पेंशनर्स को सेवानिवृत्ति से कम-से-कम 03 माह पूर्व अपने अद्यतन पेंशन संबंधी समस्त प्रपत्र, छायाचित्र, दस्तावेज इत्यादि सहित कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद भी सेवानिवृत्ति उपरांत तक कतिपय कर्मचारीगण/पेंशनर्स द्वारा अद्यतन प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं अथवा त्रुटिपूर्ण प्रपत्र प्रस्तुत होने से पेंशन प्रकरण प्रेषित किये जाने में विलम्ब कारित होता है तथा पेंशन कार्यालय द्वारा आयोजित पेंशन शिविर इत्यादि का लाभ पेंशनर्स को प्राप्त नहीं हो पाता है।

अतः समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी ई.एस.एस. प्रोफाईल को पूर्ण/सही/अद्यतन करवाए जाने हेतु आई.एफ.एम.आई.एस. मॉड्यूल से स्वयं की लॉगिन से ऑनलाईन रिक्वेस्ट, दस्तावेजों को स्कैन कर, प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जो कर्मचारी स्वयं उक्त कार्य नहीं कर सकते हैं, वे स्कैनिंग हेतु असल दस्तावेजों (स्वयं व नॉमिनी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, एकल व संयुक्त छायाचित्र इत्यादि) के साथ प्रतिदिन कार्यालयीन समय के भीतर लेखानुभाग (प्रथम तल स्थित हॉल) इन्दौर में श्रीमती रीना चौरसिया, कार्यालय लिपिक व सुश्री पूनम पटेल, कार्यालय लिपिक के समक्ष इस प्रकार उपस्थित रहें, ताकि न्यायालयीन व प्रशासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। कार्य की सुविधा की दृष्टि से उपस्थिति होने वाले कर्मचारियों हेतु निम्नांकित तालिका का उपयोग किया जावे :-

क्र सं	दिन	उपस्थित होने वाले कर्मचारी की श्रेणी
1	माह की 1 से 5 तारीख	60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले तथा गंभीर बीमारी से ग्रसित
2	माह की 6 से 10 तारीख	55 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से कम आयु वाले तथा गंभीर बीमारी से ग्रसित
3	माह की 11 से 14 तारीख	50 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 55 वर्ष से कम आयु वाले

अ.वि.

4	माह की 15 से 18 तारीख	45 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 50 वर्ष से कम आयु वाले
5	माह की 19 से 22 तारीख	40 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 45 वर्ष से कम आयु वाले
6	माह की 23 से 26 तारीख	35 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 40 वर्ष से कम आयु वाले
7	माह की 27 से 31 तारीख	35 वर्ष से कम आयु वाले शेष कर्मचारीगण

नोट 01	न्यायालय/अनुभाग के पीठासीन/प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ पदस्थ कर्मचारियों को इस प्रकार उक्त कार्य हेतु छोड़े, जिससे शासकीय कार्य प्रभावित न हो।
नोट 02	तहसील मुख्यालय पर पदस्थ प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, मुख्यालय पर पदस्थ कर्मचारीगण की ई-प्रोफाईल पूर्ण/सही/अद्यतन करवाए जाने हेतु सिस्टम असिस्टेंट/आई.टी. लिपिक/कम्प्यूटर लिपिक के माध्यम से उक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करवाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, इन्दौर मुख्यालय पर कर्मचारियों को न भेजें।

{ बी.पी.शर्मा }
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
इन्दौर

पृष्ठांकन क्रमांक : 6917/III-10-14/2023 इंदौर, दिनांक : 25.09.2023

प्रतिलिपि -

01- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, इन्दौर/डॉ.अम्बेडकर नगर/सांवेर/हातोद/देपालपुर

02- समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण, इन्दौर/डॉ.अम्बेडकर नगर/सांवेर/हातोद/देपालपुर

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

03- संभागीय पेंशन अधिकारी, संभागीय पेंशन कार्यालय, प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला, इन्दौर

04- जिला कोषालय अधिकारी, कार्यालय जिला कोषालय, प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला, इन्दौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05- श्री शैलेन्द्र शर्मा, आईएफएमएसआई लिपिक (डीडीओ लॉगिन उपयोगकर्ता), लेखानुभाग, इन्दौर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र अनुसार आईएफएमआईएस मॉड्यूल में संबंधितों की हायरार्की क्रिएट कर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें।

05- श्रीमती रीना चौरसिया व सुश्री पूनम पटेल, कार्यालय लिपिक, लेखानुभाग, इन्दौर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिदिन पूर्ण किये गये/अपूर्ण होने के संबंध में कारण को दर्शित किये जाने सहित, तालिकावार प्रत्येक कार्य दिवस में किये गये कार्य का साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन, प्रभारी अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से साप्ताहांत में कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

06- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्युटर अनुभाग, इन्दौर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती चौरसिया व सुश्री पटेल को उक्त विशिष्ट कार्य हेतु समुचित सेटअप/सिस्टम/स्कैनर/प्रिंटर इत्यादि, जो भी आवश्यकत व अनिवार्य हो, की व्यवस्था तत्काल करवाई जाना, उक्त परिपत्र वेबसाईट पर अपलोड किया जाना तथा ई-मेल व संचार के अन्य उपलब्ध माध्यमों से समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों में प्रसारित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

{ बी.पी.शर्मा }
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
इन्दौर
25/9/2023